



छत्तीसगढ़ राज्य में सहकारी समितियों द्वारा समर्थन मूल्य पर धान का उपार्जन— एक अध्ययन

पीताम्बर सिंह सोनसाठ

सहायक प्राध्यापक—अर्थशास्त्र शासकीय सुखराम नागों महाविद्यालय नगरी, जिला—धमतरी छ0 ग0

ABSTRACT

भारतीय अर्थव्यवस्था में उत्पादन तथा रोजगार की दृष्टि से कृषि क्षेत्र एक अत्यंत प्रभावी क्षेत्र है। भारत में सकल घरेलू उत्पाद का एक तिहाई भाग कृषि से प्राप्त होता है तथा इस पर राष्ट्र की दो तिहाई जनसंख्या आश्रित है। अतः कृषि का विकास किये बिना अर्थव्यवस्था का समुचित विकास किया जाना तथा नागरिकों के रहन-सहन के स्तर में सुधार किया जाना संभव नहीं है। प्राचीन काल से ही भारत एक कृषि प्रधान देश रहा है। जहां देश के विभिन्न राज्यों में अलग-अलग प्रकार की कृषिगत वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है। जिनके विपणन के लिए भारत में गत वर्षों में विभिन्न उत्पादों के लिए भिन्न-भिन्न समर्थन मूल्यों का निर्धारण भी शासन द्वारा किया जाता रहा है।

KEYWORDS : समर्थन मूल्य, मार्कफेड, धान उपार्जन।

प्रस्तावना— भारत के विभिन्न प्रदेशों में भूमि के उपजाऊपन को देखते हुए अनाज की भिन्न-भिन्न किस्में बोयी जाती हैं। इसी तारतम्य में छत्तीसगढ़ राज्य बनने के उपरांत यहां कृषिगत उत्पाद की वृद्धि दर को बढ़ाने का निरंतर प्रयास किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ सरकार अपने कृषकों के उपज को उचित कीमत पर खरीदने के लिए दृढ़ संकल्प है। यही वजह है कि किसान अपने धान, गेहू व अन्य कृषिगत उत्पाद को अनिश्चितता नजर नहीं आती है और वे कृषिगत फसलों के उत्पादन संबंधी सही निर्णय लेने में सक्षम होते हैं। भारत सरकार ने समर्थन मूल्य पर कृषिगत फसलों के उपार्जन हेतु बहुदेशीय सहकारी समितियों के संगठन का सक्रिय प्रोत्साहन दिया है और इस कार्य में विशेष बल उधार एवं विपणन पर ही दिया गया। इस हेतु प्राथमिक विपणन समितियों के केन्द्रीय विपणन समितियों और राज्य स्तर पर शिखर विपणन समितियां कायम करने के लिए प्रोत्साहन दिया गया। इसी प्रकार राष्ट्रीय कृषि विपणन संघ (छाध्व) भी स्थापित किया गया। जनजातियों का शोषण करने वाले निजी व्यापारियों से छुटकारा दिलाने और उनके द्वारा तैयार की गई वस्तुओं का अच्छा मूल्य दिलाने के उद्देश्य से सरकार ने अगस्त 1987 में भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास परिषद (ज्यस्व) की स्थापना की थी।

अध्ययन का उद्देश्य—

1. छत्तीसगढ़ में विभिन्न खरीफ वर्षों में धान के घोषित समर्थन मूल्य में वृद्धि का अध्ययन करना।
2. धान के घोषित समर्थन मूल्य पर धान उपार्जन पर प्रभाव।

शोध प्रविधि—

यह अध्ययन द्वितीयक आंकड़ों पर आधारित है जिसमें विश्लेषणात्मक पध्दति का प्रयोग किया गया है। छत्तीसगढ़ राज्य के नवगठित 27 जिलों के विभिन्न समर्थन मूल्य धान खरीदी उपार्जन केन्द्रों द्वारा खरीदे गये धान का विश्लेषण विगत चार वर्षों के आधार पर किया गया है।

विश्लेषणात्मक अध्ययन—

छत्तीसगढ़ में विगत खरीफ वर्षों में धान के घोषित समर्थन मूल्य एवं धान उपार्जन की तालिका

क्रमांक	खरीफ वर्ष	धान का घोषित समर्थन मूल्य (रूपए में)			उपार्जन केन्द्रों की संख्या	मार्कफेड द्वारा समर्थन मूल्य पर धान खरीदी (लाख मीट्रिक टन में)
		धान मोंटा	धान पतला	धान सरना		
01.	2012-13	1250.00	1280.00	1250.00	1947	71.36
02.	2013-14	1310.00	1345.00	1310.00	1975	79.72
03.	2014-15	1360.00	1400.00	1360.00	1976	63.10
04.	2015-16	1410.00	1450.00	1410.00	1982	59.17

(स्रोत— छत्तीसगढ़ शासन खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के

वेबसाइट से सामार।)

छत्तीसगढ़ राज्य के नवगठित 27 जिलों के विभिन्न समर्थन मूल्य धान खरीदी उपा. र्जन केन्द्रों द्वारा खरीदे गये धान का विश्लेषण विगत चार वर्षों के आधार पर किया गया है। सर्वविदित है कि छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है। यहां की मुख्य फसल धान है। विभिन्न वर्षों में यहां के कृषक धान का उत्पादन एवं विक्रय कर लाभान्वित हुए हैं। वर्ष 2012-13 में कुल 71.36 लाख मीट्रिक टन, वर्ष 2013-14 में 79.72 लाख मीट्रिक टन, वर्ष 2014-15 में 63.10 लाख मीट्रिक टन तथा वर्ष 2015-16 में कुल 59.17 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी समर्थन मूल्य पर की गयी है। वर्ष 2012-13 में कुल उपार्जन केन्द्रों की संख्या 1947 थी जो बढ़कर 2013-14 में 1975, इसी प्रकार 2014-15 में बढ़कर 1976 तथा 2015-16 में कुल उपार्जन केन्द्रों की संख्या बढ़कर 1982 हो गयी है। पिछले खरीफ वर्षों की तुलना में इस वर्ष 2015-16 में भीषण अकाल की छाया के बाद भी समर्थन मूल्य पर धान खरीदी बंपर मात्रा में हुई है। यद्यपि राज्य में सुखे पडने के बावजूद पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष धान की खरीदी महज लगभग 5 लाख मीट्रिक टन ही कम हुई है। चूंकि छत्तीसगढ़ सरकार ने इस वर्ष 70 लाख मीट्रिक टन धान खरीदने का लक्ष्य रखा था परन्तु प्रदेश में अल्प वर्षा के कारण धान का उत्पादन भी प्रभावित हुआ है फिर भी जो किसान गन्ना बोते थे वे भी गन्ने के स्थान पर धान के उत्पादन हेतु प्रोत्साहित हुए हैं। यही वजह है कि धान की बंपर खरीदी हुई है।

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा विगत खरीफ वर्षों में कृषकों के हितों को ध्यान में रखकर धान के समर्थन मूल्य में वृद्धि की गयी है। न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि किया जाना इसलिए उचित होता है क्योंकि—

- (1) जब कृषिगत इनपुट्स (निवेश) की लागत में निरंतर वृद्धि हो रही हो।
- (2) जब कृषकों के स्वयं के पारिवारिक सदस्यों की श्रम लागत सही नहीं जोड़ी गयी हो।
- (3) जब कृषिगत उत्पादों में जोखिम व अनिश्चितता का वातावरण अधिक देखने को मिले।
- (4) जब पूर्व निर्धारित कृषि संबंधी व्यापार की शर्तों में परिवर्तन हो गया हो।

छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा विगत खरीफ वर्ष 2012-13 में 270.00 रुपये तथा वर्ष 2013-14 में 300.00 रुपये प्रति किंटल की दर से बोनस का वितरण भी किया है। जो कृषकों के हितों में उठाया गया अत्यंत सहायनीय कदम है। जो कृषि में उनकी प्रेरणा को बढ़ाने हेतु काफी सहायक भी रहा है। छत्तीसगढ़ में कृषकों के समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की व्यवस्था सरकारी एजेंसी मार्कफेड के माध्यम से की जाती है। छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित द्वारा विगत चार वर्षों में जिलावार धान खरीदी का विवरण इस प्रकार रहा है—

तालिका

क्रमांक	जिले का नाम	खरीफ वर्ष 2012-13 (किंटल में)	खरीफ वर्ष 2013-14 (किंटल में)	खरीफ वर्ष 2014-15 (किंटल में)	खरीफ वर्ष 2015-16 (किंटल में)
01	बस्तर	856531.20	1134103.78	85574.18	42425.48
02	बीजापुर	182327.59	329389.51	25340.81	16689.64
03	दंतेवाड़ा	63873.25	115500.71	4460.75	2083.41
04	कांकेर	1612795.59	2237183.34	182061.57	133236.79

05	कोन्डागांव	323476.32	488638.55	51312.88	35293.50
06	नारायणपुर	48618.65	73502.52	8094.97	5818.66
07	सुकमा	116990.31	236644.64	16617.94	16354.54
08	बिलासपुर	3799611.46	4600487.10	360745.94	349947.76
09	जांजगीर-चौपा	7964295.30	7699836.57	598416.27	637551.92
10	कोरबा	800114.70	821452.80	91714.50	82052.43
11	मुंगेली	2246958.58	3002705.11	230568.18	253461.92
12	रायगढ़	5183010.49	5266663.68	356489.83	404120.64
13	बालोद	4263763.40	4964684.50	411336.64	332224.16
14	बेनेतरा	3904886.16	4575219.61	376583.65	397471.56
15	दुर्गा	3496415.40	4009630.00	312037.25	280367.56
16	कवर्धा	1956579.40	2700364.66	193076.12	204359.71
17	राजनांदगांव	4493267.60	5157467.40	490148.10	294263.38
18	बलौदाबाजार	5907948.60	6292122.40	530071.66	556655.61
19	धमतरी	4296469.20	4834767.03	339419.27	321256.30
20	गरियाबंद	2606256.00	3060004.40	233327.29	158611.00
21	महासमुंद	6869845.30	7095752.10	593376.16	579928.06
22	रायपुर	5921767.20	5534719.90	435020.76	447585.81
23	बलरामपुर	1209214.05	1292870.24	71715.68	80348.23
24	जपपुर	573040.39	733611.90	53788.66	62487.18
25	कोरिया	579754.80	810704.00	53842.32	21281.27
26	सरगुजा	928091.15	1218813.07	91518.59	110725.32
27	सूरजपुर	1162996.50	1434724.30	113764.81	102190.78

(स्रोत- छत्तीसगढ़ शासन खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के वेबसाइट से सामां)।

छत्तीसगढ़ राज्य में विकेन्द्रीकृत खाद्यान्न उपार्जन योजना 01 अप्रैल 2002 से लागू है। इस योजना के अन्तर्गत प्रदेश में किसानों से धान उपार्जन हेतु राज्य शासन की अधिकृत एजेंसी सहकारिता की भावना पर आधारित छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ है। विकेन्द्रीकृत खाद्यान्न उपार्जन योजना के सफलता पूर्वक क्रियान्वयन से राज्य पीडीएस एवं अन्य कल्याणकारी योजनाओं के लिए चॉवल की आपूर्ति में आत्मनिर्भर हुआ है। विकेन्द्रीकृत खाद्यान्न उपार्जन योजना के अन्तर्गत शामिल देश के राज्यों में समर्थन मूल्य पर किसानों से धान खरीदी कार्य में छत्तीसगढ़ का प्रथम स्थान है। देश के अन्य राज्यों के पीडीएस तथा अन्य कल्याणकारी योजनाओं के लिए केन्द्रीय पूल में सर्वाधिक चावल का परिदान करने वाले राज्यों में छत्तीसगढ़ तीसरे स्थान पर है जो कि उल्लेखनीय है।

खरीफ वर्ष 2007-08 से विभाग द्वारा समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की समुची व्यवस्था को कम्प्यूटरीकृत कर दिया गया है जो कि डिजिटल क्रांति को प्रोत्साहित करता है। खरीफ वर्ष 2012-13 से धान खरीदी केन्द्रों में धान विक्रय के लिए किसानों द्वारा स्वयं पंजीयन की व्यवस्था की गयी है। इसी प्रकार दूसरा महत्वपूर्ण कार्य खरीदी केन्द्रों में आनलाईन धान खरीदी प्रारंभ करने से संबंधित है। खरीफ वर्ष 2012-13 से अब तक प्रति वर्ष सभी धान खरीदी केन्द्रों में इनरनेट कनेक्टिविटी की उपलब्धता के आधार पर आनलाईन धान खरीदी की व्यवस्था की गयी है।

समस्या - विपणन सहकारी समितियां यद्यपि अपने सदस्यों को अनेक सुविधायें प्रदान करती हैं फिर भी कुछ समस्याएं निम्नानुसार हैं-

1. सहकारी विपणन समितियों के माध्यम से अपने फसलों को बेचने की क्रिया में काफी परेशानी उठानी पड़ती है, तथा उसमें काफी समय नष्ट होता है।
2. सदस्यों को इन समितियों के माध्यम से अपने फसलों को बेचने के लिए यातायात एवं परिवहन में कठिनाईयां होती हैं।
3. विपणन समितियों में प्रशिक्षित कर्मचारियों एवं उनमें कार्य कुशलता कम देखने को मिलती है।

सुझाव-

1. उत्पादन लागतों में वृद्धि को ध्यान में रखते हुए समर्थन मूल्य में अधिक वृद्धि एवं बोनस दिया जाना चाहिए।
2. जहां तक संभव हो विपणन व्यवस्था में मध्यस्थता को समाप्त कर देना चाहिए।
3. सरकार द्वारा कृषिगत उत्पादों की मूल्य नीति घोषित करते समय सदैव इस बात में ध्यान रखना चाहिए कि उनके द्वारा निर्धारित समर्थन मूल्य नीति का गरीब सं गरीब लोगों को अधिकतम लाभ प्राप्त हो रहा है।
4. विपणन समितियों की स्थापना मंडियों के निकट करना चाहिए, तथा उनका कार्य क्षेत्र संबंधित बाजारों की पृष्ठ भूमि के आधार पर निर्धारित किया जाना चाहिए।
5. सभी कृषि साख समितियों को विपणन समितियों से संबद्ध करने के प्रयत्न किये

जाने चाहिए तथा साख एवं विपणन में प्रभावकारी संबंध स्थापित करने की योजना कार्यान्वित किया जाना चाहिए।

निष्कर्ष- इस प्रकार विश्लेषण से स्पष्ट है कि कृषिगत पदार्थों के मूल्यों के निर्ररण में समर्थन मूल्य में खरीदी हेतु कृषि पर आधारित सरकारी नीति एक महत्वपूर्ण नीति है जो देश की अर्थव्यवस्था व जनसाधारण को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती है। छत्तीसगढ़ सरकार ने कृषकों को उनके द्वारा उत्पादित धान को विभिन्न प्राथमिक सहकारी साख समितियों द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद कर किसानों को लाभान्वित किया गया है एवं किसानों के हितों की रक्षा की है। किसानों का शोषण करने वाले निजी व्यापारियों एवं साहूकारों से छुटकारा दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। जो कि कृषकों को आर्थिक रूप में सक्षम बनाने में मील का पत्थर साबित होती है।

संदर्भ ग्रंथ-

(01) मिश्रा एम. के भारतीय अर्थव्यवस्था विश्लेषण एवं बदलता परिदृश्य, सागर पब्लिशर्स जयपुर।

(02) सिन्हा वी. सी. भारतीय अर्थव्यवस्था, साहित्य भवन पब्लिकेशन आगरा।

(03) माथुर वी. एल. भारतीय अर्थव्यवस्था, अर्जुन पब्लिशिंग हाऊस, नई दिल्ली।

(04) छत्तीसगढ़ शासन खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग।

पता- पीताम्बर सिंह सोनसाद

वार्ड क्रमांक- 07, स्वामी विवेकानंद वार्ड (ओम शांति भवन के पास)

नगरी, तहसील- नगरी, जिला- धमतरी (छत्तीसगढ़) - 493778

मॉबाइल नम्बर- 8889861896, ई-मेल - दहतपचे/हउपसणवउ